संख्या-28/2016-सा-3-653/दस-2016- 301(09)/2015

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, कोषागार,
उत्तर प्रदेश जवाहर भवन,
लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मुख्य/वरिष्ठ
कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक : 24 अगस्त, 2016

विषय : कोषागारों में पेंशनर कक्ष की व्यवस्था।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-16/2015- सा -3-867/ दस- 2015-301 (09)/2015, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि कोषागारों में आने वाले वयोवृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के दृष्टिकोण से कोषागरों में पेंशनर कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा गर्मियों में पेंशनर कक्ष में कूलर एवं वाटर कूल की भी व्यवस्था की जाए।

2- विभिन्न पेंशनर संगठनों द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश कोषागारों में अभी भी पेंशनर कक्ष की समुचित व्यवस्था नहीं करायी गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 सितम्बर, 2015 अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-28/2016-सा-3-653(1)/दस-2016-301(09)/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

2- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।